



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42 ]  
No. 42]

नई दिल्ली शनिवार, अक्टूबर 17, 1981/प्राश्विन 25, 1903  
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17, 1981/ASVINA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनका साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1981

सं० का० वि० 923 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 308 के परतुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) स्टाफ कार बालक भर्ती नियम, 1971 को अधिकांश करते हुए, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) मंत्रालय में स्टाफ कार बालकों के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कम्पनी कार्य (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) मंत्रालय स्टाफ कार बालक भर्ती नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संस्था, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 में 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य शर्तें :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शर्तें और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1981

सांकांनि० 939—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रवृत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राकाशवाणी (समूह 'क') भर्ती नियम, 1963\* में और मशौघन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्राकाशवाणी (समूह 'क') भर्ती (पूर्वोक्त मशौघन) नियम, 1981 है।
2. ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

प्राकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, केन्द्र निदेशक क पद से संबंधित क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

\* 23 दिसम्बर, 1963 को सांकांनि०-24 के अन्तर्गत अधिसूचित। इसके बाद इन नियमों में पदपल मशौघन अधिसूचित किए गए और इसलिए इन सभी मशौघनों के गजट संशर्षों को फुट नोट में शामिल करना दुर्बन्ध है।

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद अथवा प्रत्येक पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	स्था सेत्रा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	7(क)	8
5	(1) केन्द्र निदेशक-15	21* (1981)	साधारण केन्द्रीय सेवा	1500-60-1800-100-	अध्यय	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(2)	कार्यक्रम निदेशक (सीति)-1		समूह 'क' राजपत्रित	2000 रुपये				
(3)	निदेशक, विदेश सेवा प्रभाग-1							
(4)	निदेशक, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम-1)							
(5)	निदेशक (कार्यक्रम योजना और विकास) 1							
(6)	बिकी निदेशक 1							
(7)	अतिरिक्त निदेशक विदेश सेवा प्रभाग-1							
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।								
क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की रक्षा में लागू होंगी	परिबीक्षा की प्रवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रविष्टितर	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की रक्षा में वे प्रेश। उनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किने-किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा है।			
9	10	11	12	13	14			
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	श्रेष्ठ से 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रोन्नति	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु)	प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना			

12

13

14

(1) क्षेत्र निदेशक (साधारण रेड)	1 अध्यापक/सदस्य, संघ लोक सेवा प्रायोग—अध्यक्ष	प्रावधान है।
(2) कार्यक्रम निदेश	2 सचिव/संयुक्त सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय—	
(3) क्षेत्र निदेशक—विज्ञापन	सदस्य	
(4) उप निदेशक (विक्री)	2 आकाशवाणी महानिदेशक	
(5) उप निदेशक (विदेश सेवा)	सदस्य।	
(6) योजना अधिकारी (कार्य- क्रम)	4 दूरदर्शन महानिदेशक सदस्य	
(7) उप निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम)	समूह "क", विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करत हेतु)	
	1 सचिव/संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष	
	2 आकाशवाणी महानिदेशक सदस्य—	
	3 दूरदर्शन महानिदेशक— सदस्य	
	4 अनुसूचित जाति/अनु- सूचित जनजाति का उपयुक्त स्तर का एक अधिकारी—सदस्य	
	नोट—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां सब लोक सेवा आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी। तथापि यदि इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित न किया जाए तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की तय सिरे से बैठक बुलाई जाएगी।	

[संख्या 12019/1/81-बीए]

भार०डी० जोशी, सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th September, 1981

**G.S.R. 939.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules 1963, namely :—

1. These Rules may be called the All India Radio (Group 'A') Recruitment (Third Amendment) Rules 1981.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules, 1963 for serial No. 5 relating to the post of Station Director (Selection Grade) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely :—

\*Notified under GSR 24 dated the 23rd December, 1963. Subsequently fifty-five amendments to these Rules were notified and, as such, it is unwieldy to include the Gazette references of all these amendments in the foot-note.

Sl.No.	Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	7(a)	8
5.	(i) Station Director -15 (ii) Director of Programmes (Policy)- 1 (iii) Director, External Services Division - 1 (iv) Director, Staff Training Institute (Programme)- 1 (v) Director (Programme Planning & Development)- 1 (vi) Director of Sales- 1 (vii) Additional Director of External Services Division.	21* (1981)	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60-1800-100-2000	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation / transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
	9	10	11	12	13	14		
	Not applicable	2 years.	By promotion	Promotion from among the following officers with 5 years' regular service in the grade ;  (i) Station Director (Ordinary Grade)  (ii) Director of Programmes (iii) Station Director (Commercial) (iv) Deputy Director (Sales) (v) Deputy Director (External Services)  (vi) Planning Officer (Programmes)	Group 'A' Departmental Promotion Committee  (for considering promotion)  (i) Chairman /Member, Union Public service Commission—Chairman  (ii) Secretary / Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Member.  (iii) Director General, All India Radio —Member  (iv) Director General Doordarshan—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion)		

8	9	10	11	12	13	14
			(vii) Deputy Director (Staff Training Programme).		2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)	
					(i) Secretary/ Joint Secretary Ministry of Information & Broadcasting -Chairman.	
					(ii) Director General, All India Radio -Member.	
					(iii) Director General Doordarshan -Member.	
					(iv) An Officer of appropriate status belonging to the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe. -Member.	
<p>Note : The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>						

[No. 12019/1/81D(A)]  
R.D. JOSHI, Under Secy.

### धर्म मंत्रालय

खान सुरक्षा महाविभाग

धनबाद, 28 सितम्बर, 1981

सं० का० वि० 940—मुख्य खान निरीक्षक कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 2 के खण्ड (23) और विनियम 173 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट फर्म द्वारा विनिर्मित, उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट विस्फोटक को सभी प्रथम स्तर वाले नैसीय कोयला खाओं में उपयोग के लिए उपयुक्त अनुज्ञात विस्फोटक के रूप में और उक्त अनुज्ञात विस्फोटक के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में क्या विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय अधिकतम घनत्व अधिसूचित करते हैं।

सारणी

विस्फोटक का नाम	फर्म का नाम	अनुज्ञेय अधिकतम प्रभार किलो ग्राम प्रति एक गुनिका सुराख में
1	2	3
मोनोडाइन (पी० ई०-1-ए० ई०)	आई० टी० एल० केमिकल्स लि०, पी० बॉ० नं० 1 सनतनगर (आई० टी०) पी० बॉ० हैदराबाद-500018 (ए० पी०)	800 ग्राम

[सं० 14 (14)/77-सामाख्य/12854]

### MINISTRY OF LABOUR

Directorate General Of Mines Safety

Dhanbad, the 28th September, 1981

G.S.R. 940.—In pursuance of clause (23) of Regulation 2 and clause (d) of Regulation 173 of the Coal Mines Regulations, 1957 the Chief Inspector of Mines hereby notifies the explosive specified in column (1) of the Table below manufactured by the firm specified in column (2) of the said Table to be permitted explosive suitable for use in all gassy coal mines/seams of First degree and further lays down the permissible maximum charge as specified in column (3) of the said Table for the said permitted explosive.

TABLE

Name of Explosive	Name of Firm	Permissible maximum charge in any shot-hole
(1)	(2)	(3)
MONODYNE (PE-1-AE)	The IDL Chemicals Ltd., Post Box No. 1, Sanatnagar, (IE), P.O. Hyderabad-500018, (A.P.)	800 gms.

[No. 14 (14)/77 Genl. /12854]